

तारीख
हुक्म
13/1/22

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 9/2/22 को पेश हो।

9/2/22

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 2/1/22 को पेश हो।

2/1/22

प्रार्थी नम्रील उपस्थित। विप्रार्थीगण की
समस्या उत्तमतर हेतु दिनांक 14/5/22
को पेश हो।

उपस्थित प्रार्थी
सुश्री (पुस्तक)

14/5/22

प्रार्थी नम्रील उपस्थित। विप्रार्थीगण शब्द।
नदसीमदार मल्हानपुर को तहसील जारी
हो भी प्रकरण की आपसी राशीनामा
के निस्तारण हेतु पत्रावली दिनांक
14/5/22 को लोक अदालत में पेश हो।
दिनांक 12/5/22 को श्री. काउन्सिलिंग
में पेश हो।

उपस्थित प्रार्थी
(S.D.O.) साहब

14.5.22

प्रार्थी नम्रील उपस्थित। विप्रार्थीगण जमीने
नदसीमदार, मल्हानपुर उप।
दस्तावेजों में उक्त प्रकारान के
द्वारा लोक अदालत की मांग के
उद्देश्य हेतु नए दस्तावेज बनाने के
कोई कार्य नहीं है।

प्रार्थी का नाम तहसील में
जारी हो कोई मांग नहीं है।

14/5/22

(S.D.O.)



[Signature]

[Signature]

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियलय जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुए

~~गर्भी के प्राचीन पत्र के उभयपक्ष
के आपसी सहमति से करीकार कर
मौजा डोली बला के ख. नं. 300, 310, 389, 311~~

~~व 393 कुल रफका 44 बीघा वासुदेव
आराजी में वासी का नाम सोहनराम
पुत्र लिखाराम के स्थान पर सोहनलाल
पुत्र लिखाराम डुकुली करने के आदेश
तहसीलदार, कलमावापुर के पदाव दिने
जाते हैं। तदाउदार राजस्व रेकॉर्ड में
अमलरामपद करे। पञ्चमली - छेकर शुभाल
के रक नम्बर से कर हो~~

~~किरानि बाहरीज लोक करालत के आज
दि 14-05-2022 को करे जात इनाम~~

गण)

(नरेश सोनी)
सपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

लोक अदालत के समक्ष

स्थान का नाम

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन
..... प्राधिकरण / समिति द्वारा आयोजित)

याची / वादी / परिवादी : सोहनलाल

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी : तहसीलदार, कल्याणपुर

..... न्यायालय / प्राधिकरण / समिति की कार्यवाही संख्या:


उपरिस्थिति :- ~~श्री अमरेश्वर वशीत वारी व श्री ओम प्रकाश तहसीलदार~~
न्यायिक अधिकारी / सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम: कल्याणपुर


- सदस्यों का नाम : (1)
- (2)

अधिनिर्णय


पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता / परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है: ~~मौजा डोली कला के खेत~~
~~ख. नं. 300, 310, 311, 389 व 393 कुल रकबा 44 बीगा व 14 अक्षर~~
~~प्रातारी के वादी का नाम सोहनलाल पुत्र लिखमाराह के स्थान पर~~
~~सोहनलाल पुत्र लिखमाराह डकदारी करते के अहेश तहसीलदार~~
~~कल्याणपुर के अहेश पराम किसे जाते हैं। तहसीलदार का रकबा~~
~~रेकड के सम्बन्ध में~~
पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से

किसी द्वारा संदत्त की गई है तो यह वापस की जाएगी।


याची / वादी / परिवादी


प्रतिवादी / प्रत्यर्थी

Ad
14/5/22
TDR, KIR


न्यायिक अधिकारी
श्री पी लोक अदालत
बालोतरा


सदस्य

सदस्य

तारीख:

प्राधिकरण / समिति की मुद्रा


उपस्थित अधिकारी
बालोतरा